

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक:


2649-2690

दिनांक: 23/6/2014

समस्त परियोजना प्रबंधक
वॉटर शेड सेल कम डाटा सेन्टर (W.C.D.C)
जिला परिषद समस्त

विषय:- IWMP योजनान्तर्गत फसल पद्धति प्रदर्शन हेतु दिशा निर्देश बाबत।
प्रसंग:- एफ 17 (197) निजभूस/ IWMP / 2014 / 2423-2493 दिनांक 20.05.14
के क्रम में।

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक परिपत्र के संदर्भ में लेख है कि दिनांक 21.05.2014 की मासिक समीक्षात्मक बैठक में प्रासांगिक परिपत्र आपको उपलब्ध कराया गया था एवं फसल पद्धति प्रदर्शन के आयोजन हेतु समस्त दिशा-निर्देश दिये गये थे। उर्वरक व बीज की व्यवस्था के अलावा अन्य आदानों की व्यवस्था हेतु कृषि विभाग के दिशा-निर्देशों का पत्रांक 6150-6380 दिनांक 10.07.2013 भी संलग्न कर उपलब्ध कराया गया था एवं निर्देश दिया था कि कृषि विभाग से इस वर्ष नवीन अनुमोदन/दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक यही दिशा निर्देश मान्य होंगे, मैं संशोधन कर लेख है कि अन्य आदान जैसे सूक्ष्म पौषक तत्व, जैव उर्वरक, पौध-संरक्षण रसायन, खरपतवारनाशी आदि की व्यवस्था क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि विभाग के वर्ष 2014-15 के दिशा-निर्देशानुसार ही करावें।


(एम.एस.काला)
निदेशक
ज.ग्र.वि.एवं भूसं
जयपुर

क्रमांक: 2649-2690
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

दिनांक: 23/6/2014

1. निजी सचिव, निदेशक, ज.ग्र.वि.एवं भूसं., राज. जयपुर।
2. अति. निदेशक (IWMP) निदेशालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, ज.ग्र.वि.एवं भूसं जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक कृषि-I, संयुक्त निदेशक कृषि-III, एम.आई.ई.एस., संयुक्त निदेशक (IWMP)/लिवलीहुड/प्रशिक्षण निदेशालय, ज.ग्र.वि.एवं भूसं जयपुर।
5. ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।


(डॉ. हृशियार सिंह)
संयुक्त निदेशक (कृषि)
ज.ग्र.वि.एवं भूसं
जयपुर